रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-252/2024/3888/22-2-2022-17(1131)/2022

लखनऊ: दिनांक: 05 नवम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2022 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, नैनी (प्रयागराज) में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरविन्द सिंह (बन्दी संख्या-701/10) पुत्र श्री रामनायक सिंह, निवासी बरामरपुर लरियारी, थाना-बेवाना, जनपद-अम्बेडकरनगर, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-140, 141/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25(1)(बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित-।।, अम्बेडकरनगर के आदेश दि नांक 27.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2022 तक 17 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 18 दिन की सपरिहार सजा कारावास मे भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (पचास हजार रूपया मात्र) से अनाधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-252/2024/3888(1)/22-2-2022-17(1131)/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।**
3- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी (प्रयागराज)।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in